भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2129

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार के एसएएपी को धनराशि

2129. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2023-24 के दौरान प्रस्तुत बिहार सरकार की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को विभिन्न गतिविधियों के लिए 7743.746 लाख रुपये की राशि के लिए अनुमोदित किया गया है और जिसमें बिहार के गोपालगंज, दरभंगा और खगड़िया जिलों में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की 3 इकाइयों की स्थापना शामिल है और प्रत्येक इकाई को 500.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार को 1161.06 लाख रुपये (एसएएपी की कुल स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा) की केवल एक किस्त जारी की गई है और व्यय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित अनुदान जारी करने की पूर्व शर्तों को पूरा न करने के कारण बाद की किस्तें जारी नहीं की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जी हाँ, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार सरकार ने, प्रस्तुत की गई राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से गोपालगंज, दरभंगा और खगड़िया जिलों में एक-एक 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए 8023.336 लाख रुपये की सहायता मांगी है। एनएएम योजना के तहत, परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) और मिशन निदेशालय (एमडी) द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद, एसएएपी में प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के लिए 7743.746 लाख रुपये (केंद्र का हिस्सा- 4646.247 लाख रुपये और राज्य का हिस्सा- 3097.499 लाख रुपये) को मंजूरी दी गई, जिसमें गोपालगंज, दरभंगा और खगड़िया जिलों में प्रत्येक इकाई के लिए 500.00 लाख रुपये की राशि के साथ, एक-एक 50 बिस्तरों वाला एकीकृत आयुष अस्पताल शामिल है। हालाँकि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, 2023-24 के दौरान उपरोक्त अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी।

(ग) और (घ): जी हाँ, उस समय विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृत धनराशि उन राज्यों को चार किस्तों में जारी की जा सकती थी जो वर्ष 2023-24 में व्यय विभाग के प्रचलित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों/पूर्व शर्तों को पूरा करते थे। पहली किस्त जारी होने के बाद, निम्नलिखित शर्तों के पूरा न होने के कारण अगली किस्तें जारी नहीं की जा सकीं: (i) 75% व्यय के लक्ष्य की प्राप्ति, (ii) कम से कम 75% धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

*****